Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 6 | JUNE 2024

सामाजिक - आर्थिक धरातल पर महिला नेतृत्व एवं पंचायत राज में महिलाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

पंकज सिंह [1]

[1] **पोस्ट गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बागोड़ा, राजस्थान.**

ABSTRACT:

सम्पूर्ण सृष्टि उस जगत नियंता के शासन में चलने वाली एक अदृश्य, उत्तम, शाश्वत व्यवस्था है। यह एक अलौकिक शासन है। लौकिक रूप से देखा जाए तो प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग शासन व्यवस्था है। भारत वर्ष लोकतंत्रात्मक देश है जहाँ पंचायतीराज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। 'लोकतंत्र विकेन्द्रीकरण पर आधारित व्यवस्था है। केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएँ एवं मूल्य शक्तिशाली नहीं है। लोकतंत्र में पंचायती राज वह माध्यम है, जो राजनीतिक व्यवस्था को शासन के द्वारा आम नागरिक के दरवाजे तक पहुँचाती है। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा राज व्यवस्था व्यक्तियों के जीवन से जुड़ जाती है, ताकि वे अपनी आम समस्याओं का सामान्य पद्धति के द्वारा निदान कर सके।

" किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र का उन्नयन तभी संभव है जब स्थानीय स्तर से लेकर चोटी तक के शासन में सामान्य जन की भागीदारी हो। यह भागीदारी ही लोकतंत्र का मापदण्ड निश्चित करती है। यह सब पंचायती राज के द्वारा ही सफल कार्यों के सम्पादन एवं क्रियान्वयन से संभव हो सकता है। इसमें भी महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी ता की भूमिका अपने आप में अत्यधिक प्रधान है यदि नेतृत्व की डोर एक महिला आपके हाथ में होगी तो वह राजनीतिक होने के साथ साथ सामाजिक, संस्कृतिक, शैक्षिक, व्यवहारिक भी होगी।

KEYWORDS:

सामाजिक, आर्थिक, महिला नेतृत्व, पंचायत राज, भूमिका, समाजशास्त्र, अध्ययन।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
28th June 2024	30th June 2024

विषय प्रवेश:-

व्यक्तिगत विकास और मनोवृत्तियों के निर्धारण में व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति जिस सामाजिक-आर्थिक स्तर से सम्बंधित रहता है, उसे उसी प्रकार का जीवन अवसर प्राप्त होता है तथा जिन सामाजिक-आर्थिक मूल्यों में उसको प्रशिक्षित किया जाता है वे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि, मूल्य और आकांक्षाओं के स्तर को प्रभावित करते हैं।

पुरूष प्रधान समाज में महिला वर्ग जो प्राचीन काल से उच्च जाति और वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शोषित किया जाता रहा है, उनकी उपेक्षाओं की शिकार रहती है तथा जिनके अधिकार, शक्ति, सत्ता और सुविधा की परिधि अत्यंत सीमित रहती है ऐसी स्थिति में महिला वर्गों के राजनीतिक मूल्य और राजनीतिक सहभागिता के निर्धारण में उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण स्थान है।

सामाजिक – आर्थिक धरातल पर महिला नेतृत्व

सामाजिक आर्थिक धरातल पर महिला नेतृत्व की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक धरातल पर महिलाएं न केवल अपने नेतृत्व के द्वारा बल्कि अपने ज्ञान अनुभव शिक्षा और कला कौशल के द्वारा समाज को एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है महिलाओं का यह नेतृत्व अनेक प्रकार के आधारों को उदाहरण करता है कहीं पर आयु वर्ग के आधार पर कई वैवाहिक स्थिति के आधार पर कहीं सामाजिक वातावरण के आधार पर कही आर्थिक वातावरण के आधार पर अतः सभी दृष्टियों से महिलाओं का नेतृत्व और उसका प्रतिशत अलग अलग है।

आयु के दृष्टिकोण से महिला नेतृत्व

सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति की आयु उसकी परिपक्वता, अनुभव और ज्ञान के स्तर को प्रतिबिंबित करती है तथा सामाजिक परिवेश में उसे एक निश्चित सामाजिक परिस्थिति और भूमिका प्रदान करती है। भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से अधिक आयु नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण योग्यता समझी जाती है। यह विश्वास किया जाता है कि अधिक आयु के लोग कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक अनुभवी और ज्ञानी होते हैं इस आधार पर महिलाएं सर्वाधिक अहम भूमिका का निर्वहन करती हैं।

इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो लगभग प्रतिशत महिलाएं जो 51 वर्ष से अधिक आयु समूह की है केवल 21 से 30 वर्ष वाले आयु समूह का प्रतिनिधित्व करती है महिला नेतृत्व का यदि आयु के आधार पर विभाजन करके देखें तो आधे से अधिक महिलाएं फ्रॉड वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है वहीं युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 7% है।

वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिला नेतृत्व

महिलाएं न केवल सामाजिक आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई हैं बल्कि सर्वप्रथम उनकी भूमिका का निर्वहन उनके पारिवारिक जीवन से प्रारंभ होता है। अतः व्यक्तिक एवं सामाजिक दायित्व के साथ साथ उन पर पारिवारिक दायित्व सर्वप्रथम होता है। विवाह विधि की भिन्नता के बावजूद मूलतः इस संबंध में समझौता एवं परिपक्वता को प्रतीक मनाना उचित रहता है। सामाजिकता की अनिवार्य स्थिति की दृष्टि से वैवाहिक दायित्वों की भागीदारी समान रूप से पति एवं पत्नी की होती है। भारतीय परंपरा में ही नहीं अन्य समाजों में भी यदि पति जीविका का साधन जुटाने का कार्य करता है तो पत्नी मूलतः पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती है। इस स्थिति में आज निरंतर तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अनेक प्रकार के सामाजिक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि, प्रायः अविवाहित स्त्रियां नेतृत्व की भूमिका निर्वहन करने में इच्छुक नहीं होतीं। बल्कि ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व में केवल विवाहित महिलाएं ही आगे आती हैं। तथा पूर्ण उत्साह के साथ समाज का नेतृत्व करने में अग्रणी रहती हैं। वह न केवल समाज को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करती हैं। वरन समाज को संस्कृति, मूल्य एवं नैतिकता से जोड़ने में भी योगदान प्रदान करती हैं।

धर्म के आधार पर महिला नेतृत्व

धर्म सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है । भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणिक स्थितियों के मध्य धार्मिक भावनाएँ किसी न किसी रूप में समाहित हैं। विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले लोग भारतवर्ष के निवासी हैं । भारतवर्ष में हिंदू धर्म की प्रधानता है। ग्रामीण संदर्भ में भी धर्म की दृष्टि से हिंदू धर्म का बाहुल्य है। शोध से स्पष्ट होता है कि, महिला नेतृत्व में धार्मिक दृष्टि से हिंदू महिलाएं मुख्य रूप से अग्रणी हैं। मुस्लिम, सिख, इसाई आदि धर्म से संबंध रखने वाली महिलाएं नेतृत्व की दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत कम हैं लेकिन यह भी देखा गया है कि भले ही महिलाएं किसी भी धर्म जाति और संप्रदाय से युक्त क्यों न हों लेकिन वह अपने नेतृत्व में धर्मवादी दृष्टि से समाज को निर्देशित नहीं करतीं। बल्कि समानता के भाव के साथ समाज को अपना नेतृत्व प्रदान करती हैं।

परिवार की स्थिति एवं आकार के आधार पर महिला नेतृत्व

भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सर्वप्रमुख इकाई संयुक्त परिवार व्यवस्था है। यह व्यवस्था कृषि पर आधारित है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। परम्परागत ग्रामीण आर्थिक संरचना के अनुरूप यह आज भी गतिमान है । इसमें धार्मिक संस्कार, रीति-रिवाज, सामाजिक मूल्य, नातेदारी, रिश्ते, संबंध, मान्यता, हिंदू संस्कृति, जीवन दर्शन, परंपरागत मूल्य सभी कुछ निहित है जो इस संयुक्त परिवार की व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बनाने में योगदान देते हैं । आधुनिक काल में परिवर्तन की नवीन शक्तियां विशेषकर औद्योगीकरण शिक्षा में प्रचार प्रसार, नगरीकरण, व्यावसायिक और आर्थिक जीवन में होने वाले परिवर्तन आदि के परिणामस्वरूप परिवार की संरचना में निरंतर परिवर्तन हो रहा है । उसकी प्रकार्यात्मक विशेषताएं भी बदल रही हैं। तथा आज परिवार एकाकी व सीमित होने लगे हैं। आज भारतीय पारिवारिक संगठन एक संक्रमणशील स्थिति से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन पूर्णतः संयुक्त परिवार आज भी समाप्त नहीं हुए हैं। उनका अस्तित्व अभी भी भारतवर्ष में विद्यमान है। परिवार की आकार और स्थिति के आधार पर महिला नेतृत्व कुछ हद तक प्रभावशील है। कुछ स्थलों पर संयुक्त परिवार के द्वारा पारिवारिक परिस्थितियों को अवलंबन दिए जाने के कारण महिलाएं नेतृत्व के क्षेत्र में अग्रसर होने में सक्षम हो जाती हैं। कुछ स्थलों पर इसके विपरीत भी स्थितियां देखी जाती है संयुक्त परिवार अनेक प्रकार की बंधन लगाकर महिलाओं को नेतृत्व के क्षेत्र में आगे नहीं जाने देता।

शैक्षणिक स्थिति के आधार पर महिला नेतृत्व

शिक्षा विकास का महत्वपूर्ण अंग है। जहाँ शिक्षा है वहाँ एक नई सोच, नई शक्ति, नया रूप, नयी उमंग, विद्यमान हैं। यदि शिक्षा है तो समाज में व्याप्त कुंठित विचार प्रभावी नहीं हो पाते। व्यक्ति एक मुक्त सोच के साथ अपने क्षेत्र की ओर अग्रसर होने में सक्षम होता है। जो परिवार शिक्षित हैं वह अपने परिवार की महिलाओं को नेतृत्व के क्षेत्र में आगे निकलने के लिए स्वयं सहायक सिद्ध होते हैं। वहाँ लिंगवादों को लेकर कोई संकुचित सोच नहीं रहती। शिक्षा के माध्यम से मानव के व्यक्तित्व में एक नवीन मैं उन्मेष के प्रति जागरूकता पैदा होती है। वही व्यक्ति में वैचारिक दृढ़ता प्रखर चिंतन महत्वाकांक्षा आदि गुणों का भी समावेश होता है आज शिक्षित परिवार मुक्त सोच के कारण स्त्री और पुरुष किसी भी रूप में एक साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है शिक्षित परिवार महिलाओं की सामाजिक योग्यता शशी नेतृत्व क्षमता व्यावहारिकता आदि को लेकर किसी प्रकार की संकुचित सोच नहीं रखते बल्कि स्वयं ही उन्हें समाज में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं महिलाओं की शिक्षा कहीं पर भी उन्हें अयोग्य शोषित अधीन होने का कारण प्रदान नहीं करती जबकि पूर्वकाल में महिलाओं की सामाजिक अयोग्यता शोषण सामाजिक अधीनता स्टार परिवार की अधीनता पुरुष अधीनता के कारण वह अपना विकास नहीं कर पाती थी पुरुषों के द्वारा उस पर आरोपित सामाजिक धार्मिक पारिवारिक प्रतिबंध उसे आगे नहीं जाने देते थे। परन्तु वर्तमान समाज शशी क्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह शिक्षा का प्रचार प्रसार महिलाओं में सम्मान और आत्मविश्वास लेकर आया है ऐसी स्थिति में महिलाओं के नेतृत्व पर समाज विश्वस्त है पुरुष प्रधान समाज उसके नेतृत्व को ग्रहण करता है पिता माता एवं पति उसके किसी भी सामाजिक कृत्य पर संशय नहीं करते क्योंकि उसका उद्देश्य अपने समाज को आगे की ओर लेकर जाना है है इस दृष्टि से अध्ययन किए जाएं तो पता चलता है कि पंचायतों के विविधतापूर्ण कार्यों के लिए शिक्षा का विशिष्ट महत्त्व है और इस क्षेत्र में ग्रामीण महिला नेतृत्व का केवल लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा ही प्राथमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षित है जबकि स्नातक अथवा अधिक शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत मात्र दो ही है।

यद्यपि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का शिक्षा प्रतिशत पूर्वोत्तर का लो से अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो चुका है। और अब महिलाएं स्वतंत्रता के साथ अपने मार्गों का चयन करने में आगे बढ़ रही है।

व्यावसायिक पृष्ठभूमि के आधार पर महिला नेतृत्व

आज भी विभिन्न जातियां अपने उद्गम में व्यावसायिक नहीं। इतिहास ने भी हमारे सामने ऐसी जातियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करती थीं तथा एक ही जाति के सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय करते थे। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से शोध किए जाने पर व्यावसायिक पृष्ठभूमि का विशेष महत्त्व दिखाई देता है। अधिकतर महिलाओं के पति अथवा पिता व्यावसायिक पृष्ठभूमियों से जुड़े हुए हैं । वह मुख्यतः कृषि कार्य व मजदूरी का कार्य करते हैं व्यापार और नौकरी करने वालों की संख्या का प्रतिशत कम है। इससे स्पष्ट होता है कि, ग्रामीण इलाकों में अनेक स्थल पर कृषि की प्रधानता होने के कारण महिलाएं व्यावसायिक रूप में कृषि पर आश्रित हैं, उसमें भी मजदूरी करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 30/32 है । ग्रामीण नेतृत्व में विद्यमान एक चौथाई से अधिक महिलाएं पारिवारिक पृष्ठभूमि के रूप में मजदूरी से जुड़ी हुई है जो इस बात का स्पष्टीकरण है कि, अधिकतर महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए कार्य करती है।

अतः नेतृत्वधारी महिलाओं के नेतृत्व में ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई है जो मजदूरी करती है, कृषि कार्यों में संलग्न हैं। तथा अपना जीवन निर्वाह करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशैलियों में नियुक्त हैं।

वार्षिक आय के आधार पर महिला नेतृत्व

आय व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का, उसके समान स्तर एवं कार्यशैली का प्रतीक होती है तथा उसे अपने जीवन को और बेहतर बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। एक अच्छी आय ही मानव को अच्छा जीवन स्तर, खानपान और अच्छी दिशा प्रदान करती है। आय के आधार पर ही मनुष्य की दिशा और दशा तय होती है । सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के निर्धारण में आय महत्वपूर्ण नियामक है। विभिन्न महिलाएं ऐसे वर्ग समूह का नेतृत्व करती हैं जो 20,000 से अधिक वार्षिक आय वर्ग वाली है। तथा कुछ प्रतिशत महिलाएं ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी वार्षिक आय 30000 से अधिक है। 40000 से अधिक वार्षिक आय वाले वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला नेता सात अथवा 8% तक हैं। इन सबसे स्पष्ट होता है कि, अधिकांशतः महिला वर्ग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है । अतः नेतृत्व महिला वर्ग कमोबेश इस वर्ग का उसी रूप से प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है।

अध्ययनों के आधार पर महिला नेतृत्व की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि उम्र की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रतिशत 31 से 50 के मध्य के आयु वर्गों का है । 94.00 प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं जिनमें से 09.37 प्रतिशत विधवा हैं । धर्म की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत 'हिन्दू है। परिवार की स्थिति के सन्दर्भ में 63.75 प्रतिशत परिवार एकल हैं एवं 36.25 प्रतिशत संयुक्त है। परिवार के आकार में 6 से 8 सदस्यों वाला समूह 60 प्रतिशत से अधिक का है। 5 अथवा इससे कम सदस्यों वाला समूह 25.00 प्रतिशत का है । शेष 10.00 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार में 9 अथवा इससे अधिक सदस्य है । शैक्षणिक स्थिति की दृष्टि से उत्तरदात्रियों का वर्ग 50 प्रतिशत से अधिक साक्षर है। निरक्षरों का प्रतिशत 22.50 है।

महिला नेतृत्व की सामाजिक-आर्थिक स्थिति इनकी वास्तविक स्थिति का ही प्रतिनिधित्व करती है । नेतृत्व में आया वर्ग, इस वर्ग के शीर्षस्थ अथवा किसी विशेष समूह का प्रतिनिधित्व न करते हुए महिला वर्ग का ही सही अर्थों में प्रतिनिधत्व कर रहा है। यह इस वर्ग के नेतृत्व की दृष्टि से शुभ संकेत है कि वर्ग के अन्दर नेतृत्व में विशेषीकृत परिवारों अथवा समूहों ने अपना वर्चस्व नहीं बनाया है।

पंचायती राज में महिलाएं

पंचायतीराज में महिलाओं की भूमिका अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं को आरक्षण देने का मसला सदैव से सरकार में बहस का केन्द्रीय मुद्दा बना रहा है। संयुक्त मोर्चा सरकार के नेपथ्य आलाकमान ने भी महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था अलग से कराने के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त किये हैं। विभिन्न महिला संगठन की प्रतिनिधियों ने भी प्रधानमंत्री को मिलकर महिलाओं को आरक्षण देने के सवाल पर अपनी राय प्रदान कर दी है। राजनीतिक प्रेक्षकों के बीच महिला आरक्षण को लेकर कई तरह की अटकल बाजियां की जाती रही है । प्रेक्षकों का मानना रहा है कि महिलाओं को आरक्षण देने के शिगुफा चुनावी स्टंट के तहत वोट बैंक तैयार करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। वहीं एक पक्ष यह भावना भी रही है कि महिलाओं को आरक्षण देना समय की मांग है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि महिलाएं भी देश की नागरिक हैं। संवैधानिक व्यवस्था भी ऐसी ही है कि महिलाएं राजनीति में भाग लें। लेकिन सच बात तो यह है कि पितृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था होने के कारण उन्हें ऊपर उठने ही नहीं दिया जाता है। साथ ही सामाजिक रूढ़िवादी व्यवस्था महिलाओं पर तमाम बंदिशें लगाती है।

महिलाओं को घर की चाहरदीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और उनसे कहा जाता है कि राजनीतिक गंदी चीज है। सबसे पहले 1967 में इस स्थिति पर विचार शुरू किया गया और 1974 के बाद खास तौर से अशोक मेहता कमेटी ने पंचायत में महिलाओं को को-ऑप्ट (नामित) करने की सिफराशि की।

73वें संविधान संशोधन के जरिये नया पंचायती राज अधिनियम लाया गया। इस अभियान में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करा दी गई हैं। यही इस अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस तर्क के साथ ही यह अधिनियम आया कि आरक्षण से महिलाओं में चुनाव के प्रति जागृति और खुद लड़ने का आत्मविश्वास आयेगा।

पंचायती राज संस्थाओं को चलाना एवं सत्ता की बागडोर संभाल पाना कोई बच्चों को खेल नहीं है। सोच, समझ, शिक्षा एवं साहस सभी कुछ आवश्यक है इसके लिए क्या भारतीय महिलाओं में अभी से सारी क्षमताएं मौजूद हैं।

राजनीति के प्रति उनकी सोच व समझ परिपक्व नहीं है। गांवों में सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों में पली महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर सत्ता चलाने का साहस भी नहीं जुटा पाती हैं क्या? ऐसे माहौल में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी वास्तविक रूप में सार्थक सिद्ध हो सकेगी? ऐसे विभिन्न प्रश्न रूढिवादी समाज के मध्य सदा से बने रहे हैं। जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका है। उन्हें चाहर दीवारों में बंद करके रख दिया गया। पुरुष सत्ता अपने समक्ष महिलाओं की शक्ति, क्षमता और ज्ञान पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करना चाहती जो उसकी सबसे बड़ी भूल है।

महिलाओं की भागीदारी में सुधार हेतु सुझाव

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु पंचायतों में महिला गृह उद्योग स्थापित होना चाहिये, जहां पर गृहणियों को गृहस्थी के उपयोगी सामान को निर्मित करने का प्रशिक्षण दिया जा सके। पंचायतों को पूर्ण रूप से सर्वव्यापी होनी चाहिये और कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं होना चाहिये।

चुनी हुई महिला प्रतिनिधि गांव की महिला कौंसिल बनाए। मुख्य तौर पर उन्हें आज के विधान के दौर से अवगत कराएं। अंधविश्वास को दूर करने एवं स्वास्थ्य के (जयं एवं नवजात शिशुओं के) बारे में ज्ञान प्रदान करें व महिलाओं के लिए शासन- प्रशासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों से उन्हें जोड़ने के लिए प्रेरणा दे।

"आज प्रगतिशील महिलाओं को सत्ता में आरक्षण की बजाय इन सम्स्याओं पर चिन्तन करना चाहिये। प्रयास यह होना चाहिये कि महिलाओं को परिवार एवं समाज में समुचित स्थान मिले, उन्हें अपने हक एवं अधिकार मिले, उनका शोषण बंद हो उन्हें दो जून की रोटी नसीब हो समाज में सम्मानपूर्वक जीने के अवसर उपलब्ध हों। यदि यह सब कुछ हो जाएगा तो सत्ता में भागीदारी स्वतः सुनिश्चत हो जाएगी"।

(शैलजा सक्सैना, 'शिक्षित नारियां योगदान दें, मधुरिमा, 23 अप्रैल, 1997)

ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिये। इनमें कम से कम एक तिहाई उपस्थिति महिलाओं की होनी चाहिये। स्थगित बैठक को बिना कोरम के आयोजित करने का प्रावधान बन्द किया जाए।

पंचायती राज संस्थाओं की बैठक प्रायः शाम 4 बजे बाद न चालाई जाये ताकि बैठक में भाग लेने वाले विशेषतः महिलायें शाम से पूर्व अपने-अपरे घरों पर पहुंच जावें।

निष्कर्ष

अंततः कह सकते हैं कि, ग्राम विकास तभी संभव है। जब हम यह अनुभव करें कि जो लक्ष्य हम लेकर चले हैं, उसका लाभ गांव के किस पक्ष को हुआ है और कौन सा पहलू पूरा नहीं हुआ। यह आत्म विश्लेषण से ही संभव है इसके लिए आत्मबोध का वातावरण बनाना होगा। यह आत्म बोध गुणों की समष्टि से आता है।

आज संपूर्ण समाज को शिक्षा की ओर अग्रसर होना होगा। खास कर ग्रामीण इलाकों में, जहां शिक्षा का प्रतिशत आज भी कम है। इसके कारण महिलाएं स्वयं को राजनीति से दूर रखना उचित समझती हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेना नहीं चाहती। उनकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि तभी की जा सकती है जब उन्होंने पर्याप्त शिक्षा ग्रहण की हो क्योंकि शिक्षा ही उनके कार्य करने के तरीकों को सुदृढ़ कर सकती है, उनको एक नई दिशा, दशा प्रदान कर सकती है, उनको जीवन के उच्च निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर सकती है, उनको निडर विचारवान और तर्कशील बना सकती है। इस प्रकार प्रत्येक महिला का शिक्षित होना अति आवश्यक है।

अगर इन सुझावों को कार्यान्वित किया जाए तो गांवों की आत्मा सजग होगी और विकास की गति में गुणवत्ता की वृद्धि होगी। क्योंकि इन पूरे कार्य कलापों में गांव अधिकारीगण, समाज सेवीजन आदि सभी सम्मिलित हो तो एक साथ एक स्वर एवं दिशा के साथ प्रगति के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

REFERENCES

1. असलम, प्रो० एम० - 'दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के जरिये पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण', अप्रैल, 1996.

2. बाबेल, बसन्तीलाल - 'पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता, 1997.

3. गुप्त, लक्ष्मीचन्द - विकास अध्ययन संस्थान', नये स्वरूप में पंचायती राज, 30 सितम्बर से 1 अक्टुबर, 1996.

4. जोशी, संदीप - 'नवीन पंचायती राज व्यवस्था और प्रशिक्षण की अनिवार्यता, कुरुक्षेत्र, दिस० 1996.

5. खण्डेलवाल, पी०एम० - 'राज्य वित्त आयोग और पंचायती राज संस्थाएं।

6. महीपाल - पंचायती राज संस्थाओं की वित्त समस्या एवं समाधान', कुरूक्षेत्र अप्रेल 1995.

7. पगारिया, सुरेन्द्र - 'पंचायती राज व्यवस्था की सार्थकता साबित होना शेष

8. 'सत्य', सुभाषचन्द्र - 'पंचायतों को कारगर बनाने की आवश्यकता, कुरूक्षेत्र अप्रेल 1995.